



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्र: एफ-15/शोध/मदसविवि/RET 2017/

दिनांक : /09/2021

पुनः शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना

शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना क्रमांक: एफ-15/शोध/मदसविवि/RET-2017/68975 दिनांक: 24.08.2018 एवं संबंधित शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना क्रमांक: एफ-15/शोध/मदसविवि/RET-2017/70833 दिनांक: 26.09.2018 की अनुपालना में निम्नांकित अभ्यर्थी के शोध पर्यवेक्षक आवंटन पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत शोध पर्यवेक्षक परिवर्तन की प्रार्थना पत्रों के आधार पर प्रकरणों को O.124.5(E) के प्रावधानान्तर्गत शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर विषयवार शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति द्वारा दिनांक 25.09.2020 को पुनः शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाने के पश्चात् आवंटित शोध पर्यवेक्षक द्वारा ज्वॉइन किये जाने से दंकार किये जाने के फलस्वरूप विषयवार शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति द्वारा दिनांक 08.07.2021 को पुनः शोध पर्यवेक्षक आवंटित की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 10.08.2021 को प्रदत् अनुमोदन की अनुपालना में अभ्यर्थी को निम्नानुसार पुनः शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाते हैं:-

क्रमांक.	विषय	अभ्यर्थी का नाम	शोध पर्यवेक्षक का नाम	विवरण
1	Chemistry	SARASWATI JETWAL	Dr.Gajendra Singh S.P.C.Govt.College,Ajmer	

उक्त पुनः आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है :-

1. अभ्यर्थी को संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को आवंटित शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में कोर्स वर्क ज्वाइन करने हेतु अपनी ज्वॉइन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जिसके साथ कोर्स वर्क शुल्क रु. 5000/- का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसंचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम हो, संलग्न होगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट शोध अनुभाग में जमा करानी होगी।

2. संबंधित अभ्यर्थी को 'कोर्स वर्क' ज्वाइन करने की उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही करने के लिए केवल 20 दिन का समय देय है जो इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से माना जायेगा। यदि 20 दिन की अवधि में अभ्यर्थी अपने शोध केन्द्र पर उक्त प्रक्रियानुसार ज्वॉइनिंग रिपोर्ट और अन्य शर्तों की पूर्ति नहीं करता है तो उसका आवंटन स्वतः ही निरस्त मान्य होगा।

3. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.9 के प्रावधानों के अनुसार एक समसत्र 6 माह का कोर्स वर्क करना होगा।

4. अभ्यर्थियों को वर्तमान में सेवारत होने अथवा नहीं होने का घोषणा पत्र शोध पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा तथा भविष्य में पाठ्यक्रम की अवधि में नियुक्ति प्राप्त होती है तो उसकी सूचना विश्वविद्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

5. सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि संबंधित अभ्यर्थी को उक्त शर्तों स्वीकार हों तो वह इस अधिसूचना की दिनांक से 20 दिन की अवधि में उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही करना कुनैश्चित करें।

क्र: एफ-15/शोध/मदसविवि/RET 2017/ १९०२७-३०

दिनांक : 2/09/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को इस निवेदन के साथ कि इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 20 दिन की अवधि में यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित शोध पर्यवेक्षक के पास कोर्स वर्क करने हेतु उक्त शर्तों की पूर्ति करते हुए ज्वॉइनिंग रिपोर्ट देता है, तो उसे नियमित प्रवेश देते हुये उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अविलम्ब निदेशक शोध को अप्रेषित कराकर अनुग्रहीत करें।
2. संबंधित शोध पर्यवेक्षक को इस उल्लेख के साथ कि वे आवंटित अभ्यर्थी की ज्वॉइन रिपोर्ट अप्रेषित कर अपने शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य को भिजवायें जिससे वे उन्हे शोध अनुभाग को भिजवा सकें।
3. वेब एडमिनिस्ट्रेशन, म.द.स.वि.वि.अजमेर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित अभ्यर्थीगण की पत्रावली।
5. संबंधित शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति की पत्रावली।

GK
उपकुलसंचिव(शोध)
०१/०९/२१